



## छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कर प्रकरण सं. 228/2024

{आयकर अपीलिय अधिकरण, रायपुर पीठ, रायपुर द्वारा आई. टी. ए. संख्या  
241/RPR/2024 के आदेश दिनांक 28.06.2024 से उद्भूत}

रायपुर रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ई-76, जी. के. चैम्बर्स, सेक्टर-2, देवेन्द्र नगर,  
रायपुर (छ.ग.)

..... अपीलार्थी

## विरुद्ध

आयकर अधिकारी, वार्ड-3 (1), आयकर भवन, रायपुर (छ.ग.)

अपीलार्थी के लिए:

: श्री एस. राजेश्वर राव, अधिवक्ता।

उत्तरवादी के लिए

: श्री अजय कुमरानी, अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल और

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी, न्यायाधीशगण

पीठ पर पारित निर्णय

(दिनांक 05/05/2025)

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260क (संक्षेप में "1961 का अधिनियम") के अंतर्गत दायर इस अपील को विधि के निम्नलिखित सारवान प्रश्नों को विरचित करते हुए अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था: -



“1. क्या दोनों प्राधिकारियों द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 127(1) के अंतर्गत प्रकरण के अंतरण, अर्थात् अक्षम प्राधिकारी द्वारा एक निर्धारण अधिकारी (आयकर अधिकारी वार्ड क्रमांक 4(1) रायपुर) से दूसरे निर्धारण अधिकारी (आयकर अधिकारी वार्ड क्रमांक 3(1) रायपुर) को निर्धारण कार्यवाही के अंतरण के आधार पर निर्धारण आदेश दिनांक 10.10.2019 को चुनौती नहीं दी जा सकती है?

2. क्या आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा अपील पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिए बिना अपीलार्थी की अपील को निरस्त करना न्यायानुमत है, विशेष रूप से, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत निष्कर्ष दर्ज करते हुए, एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध प्रतिकर के रूप में प्राप्त ₹65,04,107/- (आदेश दिनांक 24.04.2025 में ₹65,74,704/-' के रूप में त्रुटिवश उल्लिखित) को कर में जोड़ने के विषय पर?

2. उपर्युक्त विधि के सारवान प्रश्न निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचारणार्थ उद्भूत होते हैं:-

3. अपीलार्थी/निर्धारिती अचल भू-संपदा के व्यवसाय से संबद्ध है। निर्धारिती द्वारा दिनांक 30.10.2017 को निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए विवरणी दाखिल की गई थी जिसमें कर योग्य आय शून्य घोषित की गई थी। विचाराधीन वर्ष के दौरान, अभनपुर, भटगांव, निमोरा में स्थित निर्धारिती की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिग्रहित की गई थी। निर्धारिती ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्मूल्यांकन अधिनियम, 2013 (संक्षेप में "अधिनियम 2013") में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 96 के साथ पठित 1961 के अधिनियम की धारा 10 (37) के अधीन छूट के रूप में उक्त संव्यवहार से उद्भूत ₹3.41 करोड़ के पूंजीगत लाभ का दावा किया था। निर्धारण अधिकारी ने 1961 के अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत विवरणी में दिए गए आय को स्वीकार करते हुए निर्धारण पूरा किया था, तथापि प्रधान आयकर आयुक्त (पी. सी. आई. टी.) ने 1961 के अधिनियम की धारा



263 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश दिनांक 11.02.2022 द्वारा उक्त निर्धारण को अपास्त कर दिया, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि निर्धारिती का दावा मान्य नहीं था और उक्त निर्धारण के नए सिरे से निर्णय के लिए निर्देशित किया। अपीलार्थी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष पीसीआईटी के आदेश को चुनौती दी और अंततः आईटीएटी ने निर्धारिती की अपील को निरस्त कर दिया और आदेश दिनांक 17.08.2023 द्वारा पीसीआईटी के आदेश को मान्य रखा। इस बीच, दिनांक 28.03.2023 को, कर निर्धारण अधिकारी ने पीसीआईटी द्वारा जारी निर्देशों के परिणामस्वरूप एक नया आदेश पारित किया और उक्त को जोड़ते हुए, 1961 के अधिनियम की धारा 10 (37) के अंतर्गत कर छूट के निर्धारिती के दावे को निरस्त कर दिया, जिसकी आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश दिनांक 26.02.2024 द्वारा और बाद में आईटीएटी के आदेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा भी पुष्टि की गई थी। उस आदेश से क्षुब्ध होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर की है।

4. (i) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस. राजेश्वर राव ने तर्क प्रस्तुत किया कि निर्धारण की अवधि के दौरान दिनांक 08.08.2019 को निर्धारण कार्यवाही को निर्धारण अधिकारी (आयकर अधिकारी वार्ड संख्या 4 (1) रायपुर) से निर्धारण अधिकारी (आयकर अधिकारी वार्ड संख्या 3 (1) रायपुर) को अंतरित किया गया था, जो अधिकार क्षेत्र से परे है, जो प्रधान आयुक्त, आयकर विभाग द्वारा 1961 के अधिनियम की धारा 127 (1) के अंतर्गत ही अंतरित किया जा सकता था और इस प्रकरण को देखते हुए पूरी कार्यवाही आदितः अमान्य है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने अजंता इंडस्ट्रीज विरुद्ध सी. बी. डी. टी.<sup>1</sup> के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा

---

1 (1976) 102 ITR 281 (SC)



दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है कि धारा 127 (1) के अंतर्गत आदेश पारित किए बिना और कारणों को दर्ज किए बिना प्रकरणों का एक निर्धारण अधिकारी से दूसरे निर्धारण अधिकारी को अंतरण 1961 के अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध है। इसलिए, अनुवर्ती सभी आदेश/कार्यवाही अपास्त किये जाने योग्य है।

- (ii) श्री एस. राजेश्वर राव ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की अपील को गुण-दोष के आधार पर विनिश्चय किये लिए बिना निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि आई. टी. ए. टी. इस तथ्य से प्रभावित था कि 1961 के अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत आदेश को प्रश्नाधीन करने वाली पिछली अपील को निरस्त कर दिया गया था, जबकि इसका वर्तमान अपील से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील का गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से विनिश्चय किया जाना चाहिए था और एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध निर्धारिती द्वारा प्रतिकर के रूप में प्राप्त ₹65,04,107/- को जोड़ने के संबंध में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था। इसलिए, अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है और गुण-दोष के आधार पर अपील का नए सिरे से विनिश्चय करने के लिए प्रकरण को आई. टी. ए. टी. को भेजे जाने की आवश्यकता है।

5. उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमाराणी ने तर्क प्रस्तुत किया है कि निर्धारण आदेश दिनांक 10.10.2019 को निर्धारिती द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी और मुकदमे के पहले दौर में, निर्धारिती ने यहां उत्थापित मुद्दों को प्रश्नाधीन नहीं किया था और अंततः, आई. टी. ए. टी. के अनुवर्ती आदेश द्वारा, निर्धारण आदेश दिनांक 10.10.2019 अंतिमता को प्राप्त कर चुका है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि आयकर अधिकारी संख्या 4 (1), रायपुर से आयकर अधिकारी 3 (1) रायपुर को



निर्धारण कार्यवाही अंतरिम करने के आदेश दिनांक 08.08.2019 को भी निर्धारिती द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार, उक्त आदेश को भी अंतिमता प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद, अपील पर सी. आई. टी. (अपील) द्वारा भी विनिश्चय किया गया है और आई. टी. ए. टी. द्वारा विधि के अनुसार पुष्टि की गई है। इस तरह के तर्कों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान अपील में कोई गुणदोष नहीं है और यह निरस्त किये जाने के योग्य है।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है और उनके परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का भी अत्यंत सावधानी के साथ अवलोकन किया है।

सारवान प्रश्न संख्या 1 का उत्तर

7. यह निर्विवाद है कि पूर्व में आयकर अधिकारी वार्ड क्रमांक 4 (1) रायपुर कर निर्धारण अधिकारी के रूप में प्रकरण पर विचार कर रहे थे, तथापि, आयकर अधिकारी वार्ड क्रमांक 4 (1) रायपुर द्वारा स्वप्रेरणा से आदेश दिनांक 08.08.2019 द्वारा प्रकरण को आयकर अधिकारी वार्ड क्रमांक 3 (1) रायपुर को अंतरित कर दिया गया। इसके बाद, आयकर अधिकारी वार्ड संख्या 3 (1), रायपुर ने 1961 के अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत निर्धारण आदेश पारित किया, जिसमें निर्धारिती द्वारा विवरणी में भरी गई आय को आदेश दिनांक 10.10.2019 के द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसे पी. सी. आई. टी. द्वारा आदेश दिनांक 11.02.2022 द्वारा अपास्त किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध निर्धारिती ने आई. टी. ए. टी. के समक्ष अपील की और आई. टी. ए. टी. ने पी. सी. आई. टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2023 को यथावत रखा। तत्पश्चात, निर्धारण अधिकारी ने पी. सी. आई. टी. द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में



दिनांक 28.03.2023 को एक नया आदेश पारित किया, जिसकी सी. आई. टी. (अपील) द्वारा दिनांक 26.02.2024 को और साथ ही आई. टी. ए. टी. द्वारा दिनांक 28.06.2024 को पुष्टि की गई है। परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2019 को अंतिमता प्राप्त हो गई। निःसंदेह, एक कर निर्धारण अधिकारी से दूसरे कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण अंतरित करने से पहले, 1961 के अधिनियम की धारा 127 (1) के अंतर्गत और अजंता इंडस्ट्रीज (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही आदेश पारित किया जा सकता था, जो प्रधान आयकर आयुक्त को एक कर निर्धारण अधिकारी से दूसरे कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण अंतरित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकरण में, निर्धारिती ने आदेश दिनांक 08.08.2019 को अंतिम होने की अनुज्ञा दी और 1961 के अधिनियम की धारा 127 (1) के अंतर्गत इसे चुनौती नहीं दी। तथापि, अपीलार्थी/निर्धारिती की चुनौती यह है कि चूंकि आदेश दिनांक 08.08.2019 आदितः ही अमान्य है, इसलिए, निर्धारण आदेश और उसके बाद की सभी कार्यवाही विधिक रूप से अमान्य है।

8. केरल राज्य विरुद्ध एम. के. कुन्हीकन्नन<sup>2</sup> के प्रकरण में जनार्दन रेड्डी विरुद्ध हैदराबाद राज्य<sup>3</sup> के निर्णय का अवलंब लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई न्यायालय अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करता है, तो उसके निर्णय को उसी तरह से चुनौती दी जा सकती है जैसे कि उसे चुनौती दी जाती अगर उसने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य किया होता और इस प्रकार, निम्नानुसार अवधारित किया गया:-

---

2 {(1996) 1 SCC 435}

3 {AIR 1951 SC 217}



"स्पष्ट रूप से, अपीलीय न्यायालय उसके समक्ष आये किसी प्रकरण में यह विनिश्चय करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है कि विचारण अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किया गया था या उससे परे, और उसके पास प्रकरण को सही और साथ ही गलत रीती से निर्णीत करने का अधिकार क्षेत्र है। यदि यह दोषसिद्धि की पुष्टि करता है और इस प्रकार गलत निर्णय लेता है कि विचारण न्यायालय के पास विचारण करने और दोषी ठहराने का अधिकार क्षेत्र था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अधिकार क्षेत्र के से परे जाकर निर्णय किया था और उसके आदेश को अकृत नहीं माना जा सकता है।

\*\*\* \*\*

यह सुस्थापित है कि यदि कोई न्यायालय अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करती है, तो उसके निर्णय को उसी तरह से चुनौती दी जा सकती है जैसे कि उसे चुनौती दी जाती अगर उसने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निर्णय किया होता, अर्थात्, एक अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती थी, जिसके समक्ष यह प्रस्तुत की जाती अगर उसका आदेश अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होता।

9. सुल्तान सादिक विरुद्ध संजय राज सुब्बा और अन्य<sup>4</sup> के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय

द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश एक के लिए अमान्य और दूसरे के लिए अमान्य करने योग्य हो सकता है और एक अमान्य आदेश को अनिवार्य रूप से नास्तिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में इसे इस रूप में घोषित किया जाना चाहिए।

10. इसी तरह, कृष्णादेवी मालचंद कामठिया और अन्य विरुद्ध बॉम्बे एनवायरनमेंटल

एक्शन ग्रुप<sup>5</sup> के प्रकरण में, एम. के. कुन्हीकन्नन (पूर्वोक्त) और सुल्तान सादिक (पूर्वोक्त) के पहले के दो निर्णयों का अवलंब लेते हुए माननीय न्यायाधिपतियों ने अभिनिर्धारित किया है कि भले ही कोई आदेश शून्य हो, परन्तु इसे एक सक्षम मंच द्वारा घोषित करने की आवश्यकता है और किसी भी व्यक्ति के लिए इसे केवल इसलिए उपेक्षा करने की

4 {(2004) 2 SCC 377}

5 {(2011) 3 SCC 363}



अनुमति नहीं है क्योंकि उसके मत में आदेश शून्य है। उपरोक्त निर्णय में, कंडिका 16 से 19 तक निम्नलिखित अवधारित किया गया था, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"16. यह स्थापित विधिक प्रतिपादन है कि भले ही कोई आदेश अमान्य हो, इसे एक सक्षम मंच द्वारा घोषित करने की आवश्यकता है और किसी भी व्यक्ति के लिए इसकी केवल इसलिए उपेक्षा करने की अनुमति नहीं है क्योंकि उसके मत में आदेश अमान्य है। केरल राज्य विरुद्ध एम. के. कुन्हीकन्नन नाम्बियार मंजेरी मनिकोथ नडूविल (मृत) और अन्य में, ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 906; तैयबभाई एम. बागसरवाला एंड अन्य विरुद्ध हिंद रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड आदि, ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1240; एम. मीनाक्षी और अन्य विरुद्ध मेटाडिन अग्रवाल (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि और अन्य (2006) 7 एससीसी 470; और स्नेह गुप्ता विरुद्ध देवी सरूप और अन्य, (2009) 6 एस. सी. सी. 194 के प्रकरणों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोई आदेश वैध है या शून्य, पक्षकारों द्वारा अवधारित नहीं किया जा सकता है। ऐसे आदेश को रद्द करने के लिए, भले ही वह शून्य हो, पक्ष को उचित मंच के समक्ष जाना होगा।

17. पंजाब राज्य और अन्य विरुद्ध गुरदेव सिंह, अशोक कुमार, AIR 1991 SC 2219 के प्रकरण में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि किसी आदेश की अविधिमान्यता से व्यथित पक्ष को इस घोषणा से अनुतोष के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा कि उसके विरुद्ध आदेश निष्क्रिय है और इसलिए उस पर बाध्यकारी नहीं है। उक्त प्रकरण का निर्णय करते समय, इस न्यायालय ने स्मिथ विरुद्ध पूर्वी एलोर ग्रामीण जिला परिषद, [1956] 1 All ER 855 के निर्णय का अवलंब लिया जिसमें लॉर्ड रैडक्लिफ ने अवधारित किया था:

".....एक आदेश, भले ही सद्भावनापूर्वक जारी नहीं किया गया हो, फिर भी एक ऐसा कार्य है जिसके विधिक परिणाम हो सकते हैं। यह अविधिमान्य नहीं है। जब तक अविधिमान्यता के कारण को स्थापित करने और उसे रद्द करने या अन्यथा उलटने के लिए आवश्यक विधिक कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक यह अपने स्पष्ट उद्देश्य के लिए सबसे त्रुटिहीन आदेशों के समान ही प्रभावी रहेगा।"

18. सुल्तान सादिक विरुद्ध संजय राज सुब्बा और अन्य, AIR 2004 SC 1377 के प्रकरण में, इस न्यायालय ने इसी प्रकार का विचार व्यक्त



करते हुए कहा था कि जब न्यायालय द्वारा किसी आदेश को नास्ति घोषित कर दिया जाता है, तभी अकृतता का निर्णय सभी संबंधित पक्षकारों के पक्ष में और उनके विरुद्ध लागू होगा। ऐसी घोषणा तभी अनुमेय है जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदेशकर्ता में अंतर्निहित अधिकारिता/सक्षमता का अभाव है और इसलिए, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदेश स्पष्ट और अव्यक्त अवैधता से ग्रस्त है।

19. इस प्रकार, उपरोक्त से यह उभर कर आता है कि भले ही आदेश/अधिसूचना शून्य/शून्यकरणीय हो, फिर भी इससे व्यथित पक्ष यह निर्णय नहीं ले सकता कि उक्त आदेश/अधिसूचना उस पर बाध्यकारी नहीं है। ऐसी घोषणा के लिए उसे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। आदेश काल्पनिक रूप से अकृत हो सकता है और भले ही इसकी अविधिमान्यता को किसी दी गई परिस्थिति में न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, न्यायालय याचिकाकर्ता की स्थिति या विलंब के आधार पर या अधित्यजन के सिद्धांत या किसी अन्य विधिक कारण सहित विभिन्न आधारों पर इसे रद्द करने से इनकार कर सकती है। आदेश एक उद्देश्य या एक व्यक्ति के लिए शून्य हो सकता है, तथा किसी अन्य उद्देश्य या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अशून्य हो सकता है।"

11. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर आते हुए, उपर्युक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धांतों के प्रकाश में, यद्यपि दिनांक 08.08.2019 का आदेश, प्रकरण को एक निर्धारण अधिकारी से दूसरे निर्धारण अधिकारी को अंतरित करना, 1961 के अधिनियम की धारा 127 (1) के अंतर्गत प्रधान आयकर आयुक्त/सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था, तथापि, उक्त आदेश को अपीलार्थी/ निर्धारिती द्वारा समय पर चुनौती नहीं दी गई थी। जब निर्धारिती ने आई. टी. ए. टी. के समक्ष पी. सी. आई. टी. द्वारा 1961 के अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत पारित आदेश को प्रश्नाधीन किया, तो उक्त आदेश को अंतिम होने दिया गया, क्योंकि वह आदेश दिनांक 08.08.2019 को चुनौती देने के अवसर का लाभ उठाने में विफल रहा, जिसमें उसे शून्य और अधिकार क्षेत्र से परे बताया गया था। इस प्रकार, उक्त आदेश अपीलार्थी/निर्धारिती के लिए बाध्यकारी है और उसे सक्षम



प्राधिकारी के समक्ष आदेश दिनांक 08.08.2019 को चुनौती देने की आवश्यकता थी, जो वह ऐसा करने में विफल रहा है। सुल्तान सादिक (पूर्वोक्त) में अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार, एक अविधिमान्य आदेश को अनिवार्य रूप से नास्तिक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में इसे सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, अपीलार्थी/निर्धारिती ने विधि अनुसार उपरोक्त आदेश को प्रश्नाधीन नहीं किया और इसे अंतिम होने दिया। इसलिए, मुकदमे के दूसरे दौर में, अपीलार्थी को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि अक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रकरण को एक निर्धारण अधिकारी से दूसरे निर्धारण अधिकारी को अंतरित करने का आदेश दिनांक 08.08.2019 शून्य है, इसलिए, पूरी कार्यवाही व्यपगत हो जाएगी।

12. पूर्वगामी के लिए, विधि के सारवान प्रश्न संख्या 1 का उत्तर अपीलार्थी/निर्धारिती के विरुद्ध और उत्तरवादी/राजस्व विभाग के पक्ष में दिया जाता है।

विधि के सारवान प्रश्न संख्या 2 का उत्तर:-

13. स्वीकार्यतः, निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 28.03.2023 को ₹65,04,107/- को जोड़ने का निर्देश देते हुए निर्धारण आदेश पारित किया है, जिसके विरुद्ध, निर्धारिती ने सीआईटी(अपील) के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, जिसे आदेश दिनांक 26.02.2024 द्वारा निरस्त किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, निर्धारिती ने आई. टी. ए. टी. के समक्ष एक अपील दाखिल की और आईटीएटी ने दिनांक 28.06.2024 को इस विषय पर विचार किए बिना अपील को निरस्त कर दिया कि कि क्या एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध प्रतिकर के रूप में प्राप्त ₹65,04,107/- रुपये की अतिरिक्त राशि कराधान योग्य है। आईटीएटी ने प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया तथा यह कहते हुए अपील रद्द कर दी कि इससे पहले



न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी की अपील को निरस्त कर दिया था, जबकि 1961 के अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत सीआईटी (अपील) के आदेश की पुष्टि की थी। हमारी सुविचारित राय में, आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित आदेश अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और विधि के विरुद्ध है। आईटीएटी ने अपने पूर्व आदेश दिनांक 17.08.2023 द्वारा 1961 के अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत पारित आदेश की वैधता, विधिमान्यता और शुद्धता की पुष्टि की है, जिसके परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 26.02.2024 को निर्धारण का एक नया आदेश पारित किया है। इसलिए, आई. टी. ए. टी. को इस विषय का विनिश्चय करने की आवश्यकता थी कि क्या एन. एच. ए. आई. द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध प्रतिकर के रूप में प्राप्त ₹65,04,107/- को जोड़ना कराधान योग्य है या नहीं, तथापि, आई. टी. ए. टी. ने इस पर विचार नहीं किया है और गलत रीति से पूर्व के निर्णयों का अवलंब लिया है, जिसका अधिकरण के समक्ष दायर अपील में अंतर्वलित विवाद्यक से कोई संबंध नहीं था।

14. तदनुसार, आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2024 उपर्युक्त सीमा तक अपास्त किया जाता है। दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, यह प्रकरण आईटीएटी को प्रतिप्रेषित किया जाता है ताकि यह विवाद्यक का विनिश्चय किया जा सके कि एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण के बदले प्रतिकर के रूप में प्राप्त ₹65,04,107/- की राशि पर कर देय है या नहीं। आई.टी.ए.टी. इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से अधिमानतः 3 महीने की अवधि के भीतर अपील का विनिश्चय करेगा। प्रकरण के उस दृष्टिकोण में, विधि के सारवान प्रश्न संख्या 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर अपीलार्थी/निर्धारिती के पक्ष में और प्रत्यर्थी/राजस्व विभाग के विरुद्ध दिया जाता है।



15. परिणामस्वरूप, अपील को आंशिक रूप से उपर्युक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है जिसमें पक्षकार अपना वादव्यय स्वयं वहन करेंगे।

सही/-  
(संजय के. अग्रवाल)  
न्यायाधीश

सही/-  
(दीपक कुमार तिवारी)  
न्यायाधीश

अजय

====0000====

**(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)**

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

